न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/643

मिसल नम्बर– 88 / 2023

1.डॉक्टर नन्दकिशोर सोनी उम्र 73 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सोनी
2.श्रीमती सुशीला देवी उम्र 72 वर्ष पत्नी डॉक्टर नन्दकिशोर सोनी जाति सोनी निवासीगण सुनन्दन वाटिका न्यु पोस्ट ऑफिस रोड, भुवनेश चतुर्वेदी मकान के सामने, भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.अमित कुमार सोनी उम्र 45 वर्ष पुत्र डॉ0 नन्दकिशोर सोनी
2.श्रीमती रानू सोनी उम्र 43 वर्ष पत्नी अमित कुमार सोनी निवासीगण सुनन्दन वाटिका न्यु पोस्ट ऑफिस रोड, भुवनेश चतुर्वेदी मकान के सामने, भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन कोटा राज0
3.डॉ0 विनित सोनी पुत्र डॉ0 नन्दकिशोर सोनी
4.नीलिमा सोनी पत्नी डॉ0 विनित सोनी निवासीगण पार्श्वनाथ निलय हाउसिंग सोसायटी जैन मन्दिर के पास, बालिता कैनाल रोड, कुन्हाड़ी कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/7/25

उपस्थितिः–

1.श्री मोहन मेडतवाल प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री मनोज तिवारी अप्राथी नं0 1 व 2 अधिवक्ता।
3.अप्रार्थी नं0 3 व 4 स्वयं उपस्थित।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी क्रम–1 वर्तमान में 73 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है तथा पैशे से चिकित्सक है, परन्तु अब रिटायर है। प्रार्थिया क्रम–2 गृहणी है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पुत्र व पुत्र वधु है। प्रार्थीगण के दो पुत्र है, बडा पुत्र विनित सोनी प्रार्थीगण से अलग निवास करता है, तथा छोटा पुत्र अमित कुमार सोनी अपने परिवार सहित प्रार्थीगण के मकान में फर्स्ट फ्लोर में निवास करता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की रसोई अलग–अलग है। प्रार्थीगण का एक मकान वाकै सुनन्दन वाटिका न्यु पोस्ट ऑफिस रोड, भुवनेश चतुर्वेदी मकान के सामने, भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन पर स्थित है, उक्त मकान का प्लॉट प्राथी क्रम–1 ने अपने स्वयं की स्वअर्जित आय व प्रार्थिया क्रम–2 ने अपने स्त्रीधन से शामलाती रूप

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

से क्रय किया था, क्रय करने के पश्चात प्रार्थीगण ने उक्त प्लॉट पर अपनी स्वअर्जित
आय से मकान निम्माण कराया, जिसमें वर्तमान में ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रार्थीगण स्वयं
व प्रथम तल पर अप्रार्थीगण निवास करते है। अप्रार्थीगण के कब्जे में उक्त मकान के
प्रथम तल पर तीन कमरे, दो किचन व दो लेट–बाथरूम है। उक्त मकान का कुछ
हिस्सा प्रार्थीगण द्वारा किराये पर भी दे रखा है, जिससे उन्हे आय प्राप्त होती है।
प्रार्थीगण ने एक अन्य प्लॉट वार्ड मनोज टॉकिज के सामने, स्टेशन रोड
भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन पर स्थित है, को भी अपनी स्वअर्जित आय से क्रय
किया तथा उस पर भवन निर्माण कराया, जो वर्तमान में ग्राउण्ड फ्लोर व फर्स्ट
फ्लोर निर्मित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफुट है। उक्त मकान प्रार्थीगण ने
अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या – 1 अमित कुमार सोनी के नाम से क्रय किया था, परन्तु
उक्त मकान को क्रय करने की राशि व उस पर निर्माण कराने की राशि प्रार्थीगण
द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से खर्च की गयी थी। उक्त सम्पूर्ण मकान वर्तमान में
अप्रार्थी संख्या–1 अमित कुमार सोनी के कब्जे में है तथा रिहायश अनुरूप है व
खाली है। उक्त मकान में आगे की और एक दुकान स्थित है, जिसमें अप्रार्थी क्रम–1
कार्य करता है। उक्त दुकान भी प्रार्थीगण ने अपनी स्वअर्जित आय से क्रय कर
निर्मित की थी। अप्रार्थी संख्या–2 सेन्टपॉल स्कूल कोटा में अध्यापिका के पद पर
कार्यरत है तथा 30,000/–रूपये मासिक आय प्राप्त करती है। अप्रार्थीगण वर्तमान
में प्रार्थीगण के मकान सुनन्दन वाटिका न्यु पोस्ट ऑफिस रोड, भुवनेश चतुर्वेदी
मकान के सामने, भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन के प्रथम तल पर निवास कर रहे है।
अप्रार्थीगण का विवाह वर्ष 2011 में हुआ था। विवाह के पश्चात से ही अप्रार्थीगण
का व्यवहार प्रार्थीगण के विरूद्ध ठीक नही रहा, जिस कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण
को अलग निवास करने हेतु सलाह दी, तब से ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण
अलग–अलग रसोई में अपना–अपना खाना बनाते है। अप्रार्थीगण हमेशा प्रार्थीगण
पर दबाव डालते है कि उक्त मकान (सुनन्दन वाटिका) को उनके नाम करे, नही तो
वह प्रार्थीगण को तंग व परेशान करते रहेंगे। अप्रार्थी क्रम–2 का व्यवहार, प्रार्थीगण
के विरूद्ध क्रुरता पूर्ण ही रहा है, हमेशा त्रिस्कार की भाषा में ही प्रार्थीगण से बात
की जाती है, यहां तक कि बीमार होने पर भी प्रार्थीगण की देखभाल नही की जाती
है। अप्रार्थी क्रम–2, प्रार्थीगण को कई बार धमकी दे चुकी है कि वे उक्त मकान
उनके नाम करे, नही तो वह प्रार्थीगण के विरूद्ध झुठे आरोप लगाकर बुढ़ापा खराब
कर देगी, अप्रार्थीगण हमेशा प्रार्थीगण के विरूद्ध षडयन्त्र रचते रहते है तथा किसी
भी किरायेदार को प्रार्थीगण अपने मकान में रखते है, तो अप्रार्थीगण उनसे झगडा
करके उन्हे भगा देते है तथा किसी भी अन्य व्यक्ति को उक्त मकान में बतौर
किरायेदार निवास नही करने देते। यहां तक कि अप्रार्थीगण छत पर जाने के रास्ते
पर भी ताला लगा देते है, ताकि कोई भी व्यक्ति छत पर नही आ सके। प्रार्थीगण
को भी अपने ही मकान में अप्रार्थीगण छत पर नही जाने देते तथा झगडा करते है।
अप्रार्थीगण के पॉर्शन में ए.सी. आदि लगे हुऐ है, परन्तु अप्रार्थीगण नल व बिजली
का बिल भी अदा नही करते है। सम्पूर्ण नल व बिजली का बिल प्रार्थीगण को ही
अदा करना पडता है। अप्रार्थीगण उक्त मकान में प्रार्थीगण को किरायेदार भी नही
रखने देते है, जिससे उन्हे किराये की अतिरिक्त आय हो सके। अप्रार्थीगण
जानबूझकर उक्त कृत्य प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए करते है, ताकि
प्रार्थीगण मजबूरन होकर अपना उक्त मकान अप्रार्थीगण के नाम कर दे। अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के उक्त व्यवहार से प्रार्थीगण शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके है तथा प्रार्थीगण को हर समय यही डर लगा रहता है कि उनके विरूद्ध कभी कोई गंभीर घटना कारित हो सकती है। इस कारण से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अपने उक्त मकान में नही रखना चाहते है। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण से उक्त मकान खाली कर अप्रार्थी संख्या–1 के नाम प्रार्थीगण द्वारा खरीद किये मकान में जाने के लिए कहते है, पुरन्त अप्रार्थीगण जानबूझकर अपने उक्त मकान में नही जाते है, जबकि उक्त मकान वर्तमान में खाली पड़ा हुआ है तथा वेलफर्नीश्ड है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से उक्त मकान खाली कर अपने मकान में जाने के लिए कहते है तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से झगडा करते है, मारपीट पर उतारू होते है तथा स्पष्ट कहते है कि हमे कोई भी इस मकान से नही निकाल सकता, न ही हम किसी को इस मकान में रहने देगे। प्रार्थीगण के पास केवल एक ही विकल्प रह गया है कि वह सम्माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान से हटाये। प्रार्थीगण सीनियर सीटीजन है, जो कि अक्सर बीमार रहते है तथा मिलने वाली पेंशन राशि व मकान में रखे किरायेदारो से मिलने वाली राशि से ही गुजारा करते चले आ रहे है, मकान खाली करने के लिए कहने पर प्रतिपक्षीगण का व्यवहार और ज्यादा क्रुरता पूर्ण हो गया और प्रतिपक्षीगण ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण के मकान पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। प्रतिपक्षीगण का व्यवहार व कृत्य दिन पर दिन और ज्यादा प्रार्थीगण के प्रति क्रुरता पूर्ण हो गया है और ऐनकेन प्रकारेण प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण को आये दिन धमकियां दे रहे है कि प्रार्थीगण उक्त मकान अप्रार्थीगण के नाम करे। जिसके कारण प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण के उक्त कृत्यो से काफी शरीरिक व मानसिक पीडा झेलते रहने के कारण काफी मानसिक तनाव में रहते हुऐ डिप्रेशन में आ गये है और इस कारण से और ज्यादा बीमार भी रहने लगे है और प्रार्थीगण वर्तमान में इलाजरत है। तथा प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण को विगत 2–3 सालो से निरन्तर प्रताडनाए देते आ रहे है, परन्तु प्रार्थीगण का प्रतिपक्षीगण के पुत्र व पुत्र वधु होने के कारण और यही सोचकर कि प्रतिपक्षीगण का व्यवहार प्रार्थीगण के साथ ठीक हो जाने की आशा में ही निरन्तर प्रतिपक्षीगण को अपने मकान में रहने दिया, चूंकि अब प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीगण की शांती भंग हो गयी और जान का खतरा उत्पन्न हो गया है रस कारण से प्रार्थीगण के पास एक मात्र विकल्प प्रतिपक्षीगण को अपने मालिकाना स्वामित्व के मकान से प्रतिपक्षीगण को निकलवाने/निष्कासित करवाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नही बचा है। इस कारण से प्रारथीगण अपने मकान सम्पत्ति से प्रतिपक्षीगण को माननीय न्यायालय की सहायता से बेदखल करवावे। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र (कार्यवाही) प्रार्थीगण के पक्ष में व प्रतिपक्षीगणो के विरूद्ध स्वीकार फरमाते हुऐ प्रार्थीगण के मालिकाना स्वामित्व वाले मकान वाकै सुनन्दन वाटिका न्यु पोस्ट ऑफिस रोड, भुवनेश चतुर्वेदी के मकान के सामने, भीमगंजमण्डी कोटा जं० कोटा राजस्थान से प्रतिपक्षीगणो को निष्कासित किये जाने बाबत आदेश प्रदान फरमावे तथा प्रार्थीगण को व्यक्तिगत सुरक्षा व संरक्षा तथा प्रार्थीगण के उक्त मकान सम्पत्ति की सुरक्षा निरन्तर रखते हुऐ उक्त बाबत समुचित आदेश प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रदान फरमाया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रकरण की परिस्थितियो के अनुसार उचित हो वह भी प्रार्थगण के पक्ष में पारित फरमाई जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण के उपयोग एवं उपभोग वाले पोर्शन का कब्जा प्राप्त करने हेतु पेश किया है, जबकि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कब्जाधारी को निष्कासित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है ओर यदि प्रार्थीगण को किसी प्रकार से कब्जा प्राप्त करना है तो वह दीवानी न्यायालय में इंखलाय का वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है, इसलिए क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं की आय से सम्पत्ति को निर्मित होने का कथन किया है जबकि उपरोक्त सम्पत्ति को कय करने में प्रत्यर्थीगण ने अपनी आय से प्राप्त राशि लगाकर क्रय की है तथा ऐसे में उपरोक्त सम्पत्ति को प्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है तथा खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण का बड़े पुत्र विनीत सोनी एवं पुत्रवधु डॉ. निलिमा सोनी उपरोक्त सम्पत्ति को अकेले हड़पने का प्रयास कर रहे हैं तथा पूर्व में विनीत सोनी एवं निलिमा सोनी अप्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति जो मनोज टाकीज के सामने स्टेशन रोड कोटा में स्थित है उसके ग्राउण्ड फ्लोर में लगभग 12 वर्ष से निवास करते थे तथा वर्ष 2023 में ही दीपावली के नवरात्रा में खाली करके अन्यत्र गये हैं तथा डॉ. निलिमा सोनी जो राजकीय चिकित्सालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पेथोलोजी विभाग में कार्यरत हैं वह विभाग से मिलने वाला प्रतिमाह किराया अपने आपको किरायेदार बताते हुए अर्जित करती थी, जबकि विगत 12 वर्षों से डॉ. निलिमा सोनी किसी भी मकान में किराये से नहीं रहती थी ओर ना ही अप्रार्थीगण को कभी उन्होने किराये की राशि दी बल्कि सरकार से धोखाधड़ी करके किराये की राशि भी डॉ. निलिमा सोनी ने हड़प की है एवं अप्राथीगण के मकान में कभी टूट–फुट की मरम्मत भी नहीं करवाई और अब भी अप्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त सम्पत्ति जो कि भुवनेश चतुर्वेदी के मकान के सामने स्थित है उसे भी कब्जा करने व हड़पने का आशय रखते है इसलिए विनित सोनी एवं डॉ. निलिमा सोनी ने आपसी साजिश रखकर यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण से हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश करवाया है जो सारहीन है तथा खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र महज प्रत्यर्थीगण को प्रेसराईज करने व परेशान करने की गरज से पेश किया है जो खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण तथा विनीत सोनी एवं डॉ. निलिमा सोनी के मकान आपस में मिले हुए हैं तथा दोनों का रास्ता कॉमन है, तथा जब विनीत सोनी व डॉ. निलिमा सोनी इस मकान में रहते थे तब आए दिन किरायेदार आदि को परेशान करते रहते थे तथा समझाने पर गाली–गलौच लड़ाई–झगडे व हाथापाई पर उतारू हो जाते थे लेकिन अप्रार्थीगण ने यह सोचकर की इज्जतदार परिवार से है बदनामी ना हो इसलिए कोई रिपोर्ट दर्ज नही करवाई इससे विनीत सोनी एवं डॉ. निलिमा सोनी के हौसले और बुलंद हो गये तथा उन्होने अप्रार्थीगण को उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति एवं संयुक्त क्रय की गई सम्पत्ति से बेदखल करने के आशय से प्रार्थीगण को प्रेसराईज करके व भड़काकर यह प्रार्थना पत्र हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश करवा दिया जिससे अप्रार्थीगण मानसिक व आर्थिक तनाव में आ जावे तथा सारी सम्पत्ति प्रार्थीगण के सुपुर्द कर दें इसी आशय से यह आवेदन पेश किया

अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है। प्रार्थीगण के द्वारा हम अप्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पति मनोज टाकीज के सामने स्टेशन रोड कोटा पर स्थित है उस सम्पत्ति को भी विनीत सोनी व डॉ. निलिमा सोनी को देने की गरज से तथा हम अप्रार्थीगण को बेदखल करने का आशय से संपूर्ण सम्पति के असल दसतावेज अपने कब्जे में कर रखें है तथा मांगने पर भी अप्रार्थीगण को मूल दस्तावेज नहीं दिए जा रहे है इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण सारी झूठी कार्यवाहियां अप्रार्थिगण के विरूद्ध विनीत सोनी डॉ. निलिमा सोनी के भड़कावे में आकर कर रहे है इसलिए कोई भी रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं है। जिस मकान में प्रत्यर्थीगण निवास करते है उस मकान को खरीद करते समय प्रत्यथीगण ने अपनी आय से प्राप्त राशि लगाकर क्रय किया है तथा क्रय करने के बाद प्रत्यर्थीगण ने भी अपनी आय से प्राप्त राशि लगाकर मकान निर्माण करवाया है तथा प्रार्थीगण ने मोखिक रूप से यह कहा था कि फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा प्रत्यर्थीगण का रहेगा और ग्राउण्ड फ्लोर का हिस्सा प्रार्थीगण का रहेगा लेकिन उस समय कोई लिखा–पढ़ी नहीं हुई थी सुविधा की दृष्टि से विकय पत्र प्रार्थी कम–1 के नाम पंजिकृत करवा दिया था तथा अब प्रार्थीगण अपने बड़े पुत्र विनीत सोनी के भड़कावे में आकर अनर्गल आरोप लगाकर प्रत्यर्थीगण को न्यायालय में बुलाकर परेशान कर रहे है ओर इसी आशय से यह आवेदन पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे। जो मकान मनोज टाकीज के सामने स्टेशन रोड कोटा जं. पर स्थित है उसे प्रत्यर्थोगण ने स्वयं ने अपनी आय से क्रय किया ओर उस पर निर्माण भी अपनी आय से ही करवाया गया तथा इसी प्रकार से उपरोक्त मकान प्रार्थीगण की आय से क्रय नहीं किया तथा जो दुकान है वह भी प्रत्यर्थीगण ने ही क्रय की है जिसें प्रत्यर्थी क्रम–1 अपना छोटा–मोटा व्यवसाय करता है तथा प्रत्यर्थी क्रम–2 एक प्राईवेट स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती है तथा प्रत्यर्थीगण शांतिपूर्ण रूप से अपने खरीदशुदा पोर्शन में निवास कर रहे हैं। प्रत्यर्थीगण अपने दायित्व बखूबी निभा रहे है तथा दोनों प्रार्थीगण की सेवा–सुश्रूषा नियमित रूप से की जा रही है कभी भी प्रार्थीगण का तिरष्कार करना तो दूर की बात इसके बारे में सोचना भी पाप समझते है तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध कभी कोई षडयंत्र नहीं रचा तथा जो भी किरायेदार रहता है उसे कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है ना ही कोई ताला लगाया जाता है ना ही झगड़ा आदि किया जाता है तथा कभी भी कोई अपमानजनक शब्द अथवा दरर्व्यवाहार प्रार्थीगण के साथ नहीं किया गया तथा हमेशा प्रार्थीगण को प्रत्यर्थीगण ने ससम्मान रखा है एवं आज भी पूरा सम्मान देते हैं तथा संपूर्ण देखरेख प्रत्यर्थीगण द्वारा ही प्रार्थीगण की जा रही है एवं आगे भविष्य में भी की जावेगी। प्रत्यर्थीगण का खरीदशुदा मकान जो मनोज टाकीज के सामने स्थित है। उस मकान के साथ लगवां प्रार्थीगण के बड़े पुत्र विनीत सोनी का भी मकान है तथा दोनों का निकास/दरवाजा एक ही ही है ओर सीढियां भी कॉमन है तथा विनीत सोनी प्रत्यर्थीगण को उनके पोर्शन मे आने–जाने में दखलअंदाजी आदि करता है तथा झगडा–फसाद आदि करता है तथा प्रार्थीगण चाहते तो उपरोक्त मकान में विनीत सोनी तथा प्रत्यर्थीगण के स्वामित्व शुदा हिस्से को अलग–अलग करते तथा दोनों कर दरवाजा अलग–अलग करके सुविधायुक्त करना चाहिए था जिससे कि अप्रार्थीगण तथा विनीत सोनी व डॉ. निलिमा सोनी में कोई वाद–विवाद ना हो, तथा दोनों पक्षकार अपने– अपने मकान में सुरक्षित व शांतिपूर्ण तरीके से निवास कर सके लेकिन प्रार्थीगण के द्वारा ना तो ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है

अधिकारी ★ उपखण्ड ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

और ना ही विनीत सोनी व डॉ. निलिमा सोनी को समझाया जा रहा बल्कि उनके भुड़कावे में आकर झूठे तथ्यों पर यह कार्यवाही की गई है जो निराधार है तथा खारिज फरमाया जावे। प्रत्यर्थीगण का व्यवहार अत्यंत सरल स्वभाव का है और क्रुर होने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है तथा प्रार्थीगण हम प्रत्यर्थीगण के लिए भगवान स्वरूप है और उन्हें परेशान करने अथवा शारीरिक व मानसिक पीडा व वेदना देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता दोनों प्रार्थीगण स्वस्थ है तथा पेशे से चिकित्सक है तथा निरतर नवजात शिशुओं का अपना परामर्श देते है तथा पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं तथा उन्हें किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है ना ही उनकी शांति भंग हो रही है तथा मात्र बडे पुत्र विनीत के भड़कावे में आकर यह प्रार्थना पत्र द्वेषतावश पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी नं0 3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या –3, प्रार्थी क्रम–1 व 2 का जेष्ठ पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या–1, प्रार्थी क्रम–1 व 2 का छोटा पुत्र है। इस प्रकरण में अप्रार्थी क्रम–3, की प्रारम्भिक आपत्ति यह है कि अप्रार्थी क्रम–3 अपनी पत्नी व बच्चो के साथ इस प्रकरण में वणित सम्पत्ति में विगत कई वर्षो से निवास नही कर रहा है। अप्रार्थी संख्या–3 अपनी पत्नी व बच्चो के साथ काफी समय से किराये का मकान लेकर अलग निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या– 3 का प्रार्थी क्रम–1 व 2 से किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। प्रार्थी संख्या–1 व 2 अप्रार्थी क्रम–3 के माता–पिता है, जिनका अप्रार्थी संख्या–3 बहुत सम्मान व आदर करता है। अप्रार्थी संख्या–3 इस प्रकरण के विवादित मकान में केवल अपने माता–पिता से मिलने, त्योहार आदि पर व उनकी बीमारी में संभालाने आदि हेतु ही जाता है। वैंसे भी इस प्रकरण के विवादित मकान अप्रार्थी संख्या–3 के माता–पिता के नाम रजिस्टर्ड है तथा वे ही उक्त मकान के मालिक है। अप्रार्थी संख्या–3 के माता–पिता प्रार्थी क्रम–1 व 2 को उक्त मकान के सम्बंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त है, वे जिस प्रकार से चाहे उक्त मकान का उपयोग–उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र है, इसमें अप्रार्थी संख्या– 3 को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही है, न ही इस प्रकार का कोई ऐतराज अप्रार्थी संख्या–1 को होना चाहिए, अप्रार्थी संख्या–3 के माता–पिता, प्रार्थी क्रम–1 व 2 को यह पूर्ण अधिकार है कि वह किन्हे अपने साथ रखे या किन्हे अपने साथ ना रखे। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यो को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तृत प्रकरण में जो विवाद है, वह प्राथी क्रम–1 व 2 तथा अप्राथी संख्या–1 व 2 के मध्य अप्रार्थी है। इसमें अप्रार्थी संख्या–3 का किसी प्रकार से कोई लेना–देना नही है, अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अप्रार्थी संख्या–3 को केवल तंग व परेशान करने की गरज से इस प्रकरण में पक्षकार बनवाया गया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या–3 को प्रस्तुत प्रकरण के विवाद से किसी प्रकार से सम्बन्धित नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या–3 का नाम उक्त प्रकरण से डिलीट किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की। अप्रार्थी नं0 3 व 4 की ओर से बहस नही की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी नं0 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, लड़ाई

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

झगड़ा एवं झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। प्रार्थीगण की ओर से उपरोक्त मकान के विकय पत्र की प्रतियॉ प्रस्तुत की है जिनके अवलोकन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि उपरोक्त मकान प्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति है। परन्तु अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बेदखल करने हेतु पर्याप्त आधार पत्रावली में उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान सुनन्दन वाटिका न्यु पोस्ट ऑफिस रोड, भुवनेश चतुर्वेदी मकान के सामने, भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 को पाबंद किया जाता है प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं उनको झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी नही देवे, प्रार्थीगण को मकान से बेदखल नही करे एवं अपने नल एवं बिजली का बिल स्वयं वहन करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक ....31/7/25.... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अधिकारी ★ कोटा ★ उपखण्ड